संख्या–2075/ III–2/06–44(प्रा.आ.)/03

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून, दिनांक 14 जुलाई, 2006

विषयः– वित्तीय वर्ष 2006–07 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून में माजरा–बुद्धि–शेखुवाला–धर्मावाला मोटर मार्ग के कि0मी0 17 में सिंहनीवाला व सेलाकुई के मध्य आसन नदी पर आर.सी.सी. सेतु का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 2710/लो.नि.1/04–44 (प्रा.आ.)/2003 दिनांक 23 जनवरी,2004 के क्रम में एवं आपके पत्र सं0 806/24(24)याता.– पर्व0/06 दिनांक 28.03.06 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 23 जनवरी,2003 के द्वारा संलग्नक के क्रमांक–4 (प्रस्तावित मोटर सेतु) पर उल्लिखित कार्य **ग्राम सिंहनीवाला सेलाकुई के मध्य आसन नदी पर आर.सी.सी. बाक्स टाईप मोटर सेतु 90 मी0 लागत रू0 91.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2003–04 हेतु रू0 2.00 लाख के व्यय की स्वीकृति को निरस्त करते** हुए आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित आगणन लम्बाई 250 मी0 स्पान लागत रू0 649.13 लाख पर टी.ए.सी. वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 638.70 लाख (रूपये छः करोड़ अडतीस लाख सत्तर हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2006–07 में व्यय हेतु रू0 1.00 लाख (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरीयता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
2. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक होगी।
5. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भॉति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।
8. आगणनमें जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय,एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
9. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।
10. उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 23.1.2004 के द्वारा अवमुक्त की गई रू0 2.00 (रू0 दो लाख मात्र) की धनराशि को अविलम्ब राजकोष में जमा कर दिया जायेगा ।

11. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सभी योजनाओं हेतु भूमि का अर्जन कर के कब्जा लेने के बाद ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और यदि कब्जा प्राप्त नही होता है तो उस योजना हेतु धनराशि का आहरण नही किया जायेगा और उसकी सूचना शासन को देकर धनराशि दिनांक 31.03.2007 तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक-31.03.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय। कार्य कराते समय टैण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय।

14. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी ।

15. जी0पी0 डब्ल्यू0 फार्म-9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा ।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

17. कार्य कराते समय एवं विस्तृत आगणन गठित करते समय मुख्य सचिव महोदय द्वारा शासनादेश सं0 2047/XII-219(2006) दिनांक 30.5.2006 का पालन करना सुनिश्चित करें।

18. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक मे लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत-800-अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा

19. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.- 329 /XXVII (2)/2006 दिनांक 14 जुलाई, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2075(1)/III-2/06,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तरांचल, देहरादून।
7. अधीक्षण अभियन्ता,24 वां वृत्त,लो.नि.वि.,देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2/3/गार्ड बुक ।

ओझा से,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।